अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2020 (GCMS 2020/00055) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 46एफ-986469) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.11.2019 से तेरह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 18.1.2019 जो कि ओमनाथ भाटिया पदस्थापित तहसील कार्यालय, श्रीगंगानगर कर्मकार है, उसके द्वारा दिनांक 22.6.2000 को स्वयं के कार्यलय में कार्य का निष्पादन करते हुए उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में दिनांक 22.06.2000 को ही एक वसीयतनामा कैसल में भी उपस्थिति दर्ज करवायी है। अतः एक व्यक्ति एक ही दिन दो कार्यालय में जिस नियम स[...] अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करवा सकता है [...] राजस्थान सरकार के नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. दिनांक 22.6.2000 को पद स्थापित तहसीलदार का नाम व पद की सूचना।
3. तत्कालीन पदासीन तहसीलदार के द्वारा स्वीकृति लेने सम्बन्धी आदेश की स्वीकृति की सूचना व स्वीकृति की प्रमाणित प्रति।
4. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 18.6.2019 पर विधानसभा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. पत्रांक प्रार्थी दिनांक 18.6.19 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व अधिकारी के नाम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. दिनांक 18.6.19 से इस सूचना के आवेदन का जवाब देने तक जो जो अधिकारी पदासीन रहे उनका नाम व पद की सूचना।
7. श्री ओमनाथ भाटिया कर्मकार का माह जून 2000 में एक दिन का वेतन की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. श्री ओमनाथ भाटिया जिस वसीयत निरस्तीकरण में गवाह के रूप में दिनांक 22.6.2000 को उपस्थित हुआ था उसके पक्षकारों के नाम व जिसके द्वारा वसीयत निरस्त करवाई गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति व जिस पक्षकार के विरूद्ध निरस्त करवायी गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. दस्तावेज दिनांक 22.6.19 के निरस्तीकरण पर गवाहों के नाम व पते की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. दिनांक 25.10.19 तक अग्र ... जो कार्यवाही कर्मकार द्वारा की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. श्री ओमनाथ भाटिया दिनांक 22.6.2000 को तहसील कार्यालय में उपस्थित रहकर समस्त दिवस उप पंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय में उपस्थित रहे। अतः एक दिन का वेतन काटे जाने की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

12. श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा एक दिन का वेतन, कार्य का निष्पादन न करने के उपरांत भी वेतन लिये जाने पर आईपीसी की धारा 409 के अन्तर्गत मुकद्दमा दायर करने की स्वीकृति देने बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

13. विभाग को धोखा देने के अपराध में दो जगह उपस्थिति दर्ज करवाने के आधार पर, विभाग द्वारा उसके विरूद्ध भिन्न–भिन्न धाराओं में 166 आई.पी.सी., 420 आई.पी.सी. में मुकद्दमा दर्ज करवाने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्थापना/2020/50 दिनांक 02.03.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि श्री राधेश्याम गोयल एडवोकेट द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय क्रमांक स्था./19/251 दिनांक 05.12.2019 द्वारा बिन्दुवार सूचना श्री राधेश्याम गोयल एडवोकेट, 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर , नजदीक टण्डन लेबोट्रीरी श्रीगंगानगर को पूर्व में बिन्दुवार सूचना दे दी गई है। सूचना श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।

1. बिन्दु संख्या 01 दिनांक 22.06.2000 को कार्मिक श्री ओमनाथ भाटिया कार्यालय में उपस्थित था। कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवं कार्यालय उप पंजीयक, श्रीगंगानगर एक ही परिसर में स्थित है। तत्कालीन तहसीलदार पद स्थापित के मौखिक आदेश से कार्मिक भोजन अवकाश के समय उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में उपस्थिति दर्ज करवाने गया था व भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया था। मौखिक आदेश की कोई प्रति नहीं होती है। जिसकी प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. बिन्दु संख्या 02 इस कार्यालय के सूचना पट अनुसार दिनांक 21.04.1999 से 06.06.2001 तक श्री अशोक शर्मा, तहसीलदार पद पर पदस्थापित थे।
3. बिन्दु संख्या 03 मौखिक की आदेश की प्रति नहीं होती है।
4. बिन्दु संख्या 04 कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रतिलिपि पूर्व में भेजी जा चुकी है।
5. बिन्दु संख्या 05 प्रतिलिपि पूर्व में भेजी जा चुकी हैं
6. बिन्दु संख्या 06 दिनांक 18.06.2019 को जो अधिकारी पदासीन रहे अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता ही है।
7. बिन्दु संख्या 07 कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सूचना दिया जाना सहमति नहीं हैं
8. बिन्दु संख्या 08 इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
9. बिन्दु संख्या 09 इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
10. बिन्दु संख्या 10 प्रतिलिपि पूर्व में भेजी जा चुकी है।
11. बिन्दु संख्या 11 कार्मिक दिनांक 22.06.2000 को भोजन अवकाश के दौरान गया था। भोजन अवकाश समय के दौरान वापिस आ गया था। न कि पूरे दिन उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित रहा।
12. बिन्दु संख्या 12 कार्मिका द्वारा कोई अतिरिक्त वेतन नहीं उठाया गया है। न किसी अपराध करने की श्रेण में नहीं था।
13. बिन्दु संख्या 13 कार्मिक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थिया की माता स्वयं उप पंजीयक कर्यालया श्रीगंगानगर में उप रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर [illegible] पंजीयत दस्तावेज को निरस्त करवा गया। जिसमें कार्मिक [illegible] किया, जिसके उसके विरूद्ध अनुशासात्मक कार्यवाही [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:52 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:52 IST
Reason: SelfAttested